बिजली की। इन समितियों में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक सरकारी अफसर और एक चुने हुए प्रतिनिधि । सरकारी अफसर कुछ मंत्रालयों के होते हैं और कुछ कारपोरेशन के अधिकारी होते हैं, जो नियुक्त किये जाते हैं। अब तक परम्परा यह रही है कि जब इन समितियों के चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन चुने जाते हैं, तो अधिकारी उसमें मतदान नहीं करते। क्यों ? प्रथम, वह निर्वाचित नहीं होते, नियुक्त हैं, दूसरे वह सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन मुझे जानकारी यह है कि जो बहुमत दल के लोग हैं, वह उनसे जबरजस्ती करना चाहते हैं कि वह मतदान करें । क्योंकि स्थिति यह है कि जब दोनों मत बराबर हो जायें तो परची निकाली जाती है, बैलट किया जाता है। आज बहुमत दल के लोग उन पर बहुत जोर डाल रहे हैं। मैं इसकी पुरानी घटना भी बता दूं। 1968 के अन्दर भी यही स्थिति थी, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया कि मंत्रालय के अधिकारी और कारपोरेशन के अधिकारी मतदान न करें। 1977-78 में जो अन्तिम चुनाव हुए हैं उनमें सरकारी अधिकारियों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, मतदान नहीं किया । तो मेरा गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह अपने पुराने आदेश को 1968 के आदेश को वापस न लें और जो स्थानीय नेतागण प्रभाव डाल रहे हैं कि सरकारी अधिकारी उन के पक्ष में मतदान करें इसको रोका जाय। सरकारी अधिकारी किसी दल का पक्ष नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको एक दल का पक्ष लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है यानि कांग्रेस (आई) का । तो मेरा गृह मंत्री महोदय से आग्रह है कि इसमें हस्तक्षेप करें और लोकतंत्र की परम्पराओं को सुरक्षित रखें दिल्ली के अन्दर ।

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र): महोदया, आपके द्वारा मैं भी यह कहना चाहूंगा—सौभाग्य है कि कानून मंत्री जी यहां उपस्थित हैं—जो स्थिति इन्होंने ने बताई अगर वह सही है तो यह बड़ी खतरनाक स्थिति होगी कि लोकतंत्र में अफसरों को भी वोट देने का अधिकार हो। आप उन्हें नोमिनेट करें, लेकिन वोट देने की भी इजाजत देंगे तो वह ज्यादती हो जायेगी। एक तरफ सरकारी नौकर भी रहें, दूसरी तरफ वोट का भी अधिकार दे दें, यह तो बात नहीं हो सकती लोकतंत्र में। ऐसी स्थिति बन रही है तो उसको रोकिये अगर लोकतंत्र में आस्था है।

REFERENCE TO THE REPORTED HARD FINANCIAL CONDITION OF REEDOM FIGHTER, SHRI VISHNU SHARAN DUBLISH

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : महोदया, हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के जो दो-चार बहुत महत्वपूर्ण सेनानी बचे हुए हैं उनमें से एक हैं काकोरी कांड के हीरो , विष्णु शरण दुबलिश, जो मेरठ में रहते हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। उनकी आयु 90 साल के करीब है। मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, लेकिन लगता है हुकूमत को देख कर कि यह अहसान-फरामोश पीढ़ी है और हम लोग उनके प्रति, जिन्होंने कई शताब्दियों के बाद हम को एक मुकम्मल मुल्क दिया और एक आजाद मुल्क दिया, जो हमारा फर्ज था उस को पूरा नहीं कर रहे हैं। 90 वर्ष की उम्र में श्री विष्णु शरण दुबलिश, जो काला पानी की सजा भोगे हुए हैं, जो लोकसभा के मेम्बर रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के चहेते रहे हैं, जिसकी एक जमाने में इतनी बड़ी हैसियत थी कि चौधरी चरण सिंह का जब सी० बी०

[श्री सत्यपाल मलिक]

गुप्ता टिकट काट देते थे तो पंडित जवाहर लाल नेहरू से यहां पर आकर ये टिकट अलाट करा लिया करते थे, उतना बड़ा आदमी आज मेरठ में एक नंगी चारपाई पर अपने आखिरी दिन काट रहा है। उस आदमी के पास कोई मकान नहीं है। जनता सरकार थी केन्द्र में तब वह दिल्ली इलाज के लिए लाये गये थे। दिल्ली के डाक्टरों ने मशविरा दिया कि यह अनहाइजिनिक कन्डीशन्स में रह रहे हैं। जिस मकान में दुबलिश जी रहते हैं—किसी एक परिवार ने—दसियों-बीसियों साल से उन्हें अपने यहां रखा हुआ है। जो परिवार दुबलिश जी की देखभाल करता है उस परिवार में चार बिना ब्याही लड़कियां हैं और तीन-चार बेरोजगार लड़के हैं। 7–8 आदमियों का परिवार और उसके बाद दुबलिश जी। सिर्फ एक आदमी कमाता है और दुबलिश जी की पेंशन—उस पर वह सारा परिवार चलता है। जब दिल्ली में वह आये तो डाक्टरों ने सुझाया कि दो चीजें उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं—उन के दोनों पैर काम नहीं करते—जिस मकान में वह रहें व ग्राउंड फ्लोर का मकान हो, छत का न हो और उनके रहने का स्थान साफ सुथरा होना चाहिये। आज भी उन के मकान में फ्लश की टायलेट नहीं है। उस वक्त जनता सरकार थी और अब तीन साल से यह सरकार है। आपको जान कर हैरत होगी कि मेरठ शहर में—एक एम० पी० मैं हूं, मुझको भी मकान मिल जाता—कोई भी एम० पी०, एम० एल० ए० नहीं है जिसको मकान नहीं मिला, 25–30 रुपये में बंगले अलाट कराये हुए हैं। कोई भी मामूली सफेद-कुर्ता पहनने वाला नामाकूल आदमी भी सरकारी पार्टी में शरीक हो जाता है तो उसके लिए बंगला अलाट हो जाता है, लेकिन 6 साल से लगातार प्रयत्न करने के बाद भी आजादी के इस सिपाही के नाम मकान अलाट नहीं हो पाया है।

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : मेरे नाम नहीं है।

श्री सत्यपाल मलिक : एक—आप मैंने कह दिया था, आप भी चाहते तो आप को मिल सकता था। मैं चाहता तो मुझे भी मिल सकता था। लेकिन बहुत से नालायक और नामाकूल लोगों को मकान एलाट हुए हैं और 6, 6 साल की कोशिश के बावजूद भी उन को रहने के लिए मकान नहीं मिला है। जिस परिवार में वे रहते हैं उसकी हालत मैं आप को बता चुका हूं और उन को जितनी पेंशन मिलती है वह उन की दवाई में ही निकल जाती है। इसलिए मैं आप के जरिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को तत्काल आदेश करना चाहिये मेरठ के जिलाधीश को कि कम से कम आवास विकास का एक मकान उनके नाम एलाट कर दिया जाय जिसका उनको कोई किराया न देना पड़े। यह काम तत्काल करना चाहिये और वह ऐसे आदमी है कि अगर उन को यह पता चलेगा कि मैं ने या शांति भाई त्यागी ने उनकी सुविधा का मामला यहां उठा दिया है तो वे हम से नाराज हो जायेंगे। इसलिए हम उन से बात नहीं कर सकते। सरकार का कोई अधिकारी जाय और उनकी जो वहां बेसिक जरूरतें हैं उन का खुद अंदाजा लगाये और उस के बाद उन के लिए सरकार को जो करना चाहिये वह करे। मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं, कि यह 5, 7 लोग बचे हैं देश भर में। उन की यह नस्ल खत्म होती जा रही है और आज दूसरी तरह की नस्ल आ

रही है। अगर यह लोग बचे रहेंगे तो उन के संपर्क में आ कर कुछ लोग ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। इस दृष्टि से इस पीढ़ी का जो कर्जा है हम पर उस को पूरा करने की दृष्टि से यह जरूरी है कि सरकार मेरठ के कलैक्टर को आदेश दे कि वह उनके लिए आवास विकास परिषद् का कोई एक मकान एलाट करे और उनकी बाकी जरूरियात के लिए सरकार जो कुछ कर सकती है वह करे।

SfHRl HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa): Madam, I join in the sentiments expressed by the hon Member.

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र) : मैं यह आपत्ति उठा रहा हूं कि यहां जो पार्लियामेंट्री डिप्टी मिनिस्टर हैं वह भी नहीं हैं। जो अहम बात उन्होंने कही है.....

उपसभाध्यक्ष (डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला) : कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं।

श्री सदाशिव बागाईतकर : जब स्पेशल मेंशन होता है तो वह कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसी बातों पर सदन में विचार होना चाहिये और इन बातों को संबंधित मिनिस्टर तक पहुंचाने का काम पार्लियामेंटरी मिनिस्टर का होता है। उन्होंने इतनी दर्द भरी कहानी कही और सरकार तक उनकी बात भी न जाय यह बात ठीक नहीं है।

श्री सत्यपाल मलिक : आप डाइरेक्शन दें सरकार को कि वह इस पर कार्यवाही करे।

उपसभाध्यक्ष (डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला) : जो कुछ यहां लिखा जाता है, जो बातें आप बोल रहे हैं, वह सब लिखी जाती हैं और वह संबंधित मंत्रियों को भेजी जाती हैं।

श्री सत्यपाल मलिक : उसका 6 महीने में जवाब आता है। जो स्पेशल मेंशन हम करते हैं उसकी साल भर तक या 6 महीने तक कोई खबर नहीं होती कि उस पर क्या कार्यवाही हुई है।

उपसभाध्यक्ष (डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला) : मैं माननीय मंत्री जी को कहूंगी कि श्री दुबलिश जी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन के बारे में जो बात मलिक साहब ने कही है, जिन्होंने देश के लिए काम किया है और अपनी जिन्दगी उसमें बितायी है वह उन की बात को सही जगह पर पहुंचा कर उनको सुविधायें दिलाने के लिए जरूरी संरक्षण करें।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Madarn, I join in the sentiments expressed by the hon. Member...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): All of us join in it. Now we will take up further discussion on the Budget (Railways) 1983-84. Mr. Matto, you were speaking. You conclude your speech.

RE. STATEMENT ON SITUATION IN ASSAM

SHRI LAL K. ADVANI (Madhya Pradesh): Before he speaks, Madam Vice-Chairman, I believe that the Home Minister has made a statement in the other House in respect ot Assam today, on the deployment of the Army in many districts. Are we to have a similar statement here? Till now the practice has been that whenever an important statement is made in the other House, it is invariably made in this House also. I beileve that there is going to be a discussion on that statement in the other House tomor-